जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर   दिनॉक 02.02.2025

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 514/24 धारा 103(1)/238/140(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री हरगूलाल पुत्र स्व0 श्री मुरारी सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी का पुत्र अनमोल दिनांक 01.11.2024 से घर से लापता है, जिसे काफी तलाश करने के पश्चात भी नही मिला। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 514/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.11.2024 को वादी के पुत्र अनमोल का शव गागन नदी में मिला। स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के परिजनों ने किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा अनमोल की हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी। विवचेनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 137(2) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1)/238/140(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियोग में अभियुक्त अमित कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम मटोरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 02.02.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 514/24 धारा 103(1)/238/140(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम मटोरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अमित से की गयी पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक अनमोल अभियुक्त का चचेरा भाई था। अनमोल अभियुक्त की पत्नी के पास आता जाता था जोकि अभियुक्त को पसंद नही था। इसी बात को लेकर अभियुक्त का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद रहता था और इस बात से उसकी व उसके परिवार वालो की काफी बदनामी हो रही थी। दिनांक 01.11.2024 की शाम को जब उसने अनमोल को उसकी पत्नी के साथ देखा तो उसने अपने चाचा श्रवण और उसके बेटे अंकित के साथ मिलकर अनमोल को पीटते हुये बाहर वाले कमरे में ले गये और वहीं पर अभियुक्त ने पास में रखी लोहे की फाल से अनमोल के सिर पर

कई वार कर उसकी हत्या कर दी। तीनो ने योजना बनाकर रात्रि में अनमोल के शव को खेतो के रास्ते जाकर गागन नदी में फैंक दिया था और जिस लोहे की फाली से अनमोल की हत्या की थी वह भी नदी में ही फैंक दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अमित कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम मटोरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2– उ0नि0 श्री ब्रजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3– मुख्य आरक्षी 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

4– आरक्षी 2062 धर्मेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बिजनौर पुलिस

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 02.02.2025

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर पुलिस पेंशनर्स एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी की गयी तथा पुलिस पेंशनर्स से उनकी समस्याओं एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में पुलिस पेंशनर्स और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं और विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पुलिस पेंशनर्स एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना था। इस दौरान पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा की गई। इस प्रकार की बैठकें न केवल पूर्व पुलिसकर्मियों के अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि उनके कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने में भी सहायक होती है।

Galaxy A23

उप-निरीक्षक कक्ष
बाल कल्याण
अधिकारी

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 02-02-2025**

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 171/24 व मु0अ0सं0 172/24 मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.11.2024 को वादी श्री विजय पुत्र पतराम सिह नि0 बाकरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घेर से 01 भैंसा व 01 कटरा चोरी कर लिये गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0-171//2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त सुभान उर्फ भूरा पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान चोरी किये गए दो भैंसवंशीय पशु व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया था जिस संबंध मे थाना नांगल पर 172/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनो अभियोगो मे अभियुक्त नईम उर्फ भोला पुत्र शमीम निवासी ग्राम दिनौडा थाना नागल जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही :-

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगो मे वांछित अभियुक्त नईम उर्फ भोला उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

नईम उर्फ भोला पुत्र शमीम निवासी ग्राम दिनौडा थाना नागल जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकिल उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 223/20 धारा 380/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 49/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 148/224 धारा 109/115(2) बीएनएस थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 171/24 धारा धारा 303(2) बीएनस थाना नागल जनपद बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 172/24 धारा 109 बीएसएस थाना नांगल बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिहँ थाना नागल जनपद बिजनौर।
2. कां0 156 रोहित थाना नागल जनपद बिजनौर।
3. कां0 706 गजेन्द्र सिहँ थाना नागल जनपद बिजनौर।
4. का0 299 सोनू थाना नागल जपनद बिजनौर।